हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि. प्र.

सर्वे भवन्तु सुखिनः
कल्याण

हि. प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बारहवीं बैठक हेतु कार्यसूची

दिनांक : 12 दिसम्बर 2021

समय : 2:00 बजे अपराह्न

स्थान :सभागार, राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला (हि. प्र .)

दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अन्य पिछडा वर्ग कल्याण बोर्ड की बारहवीं बैठक में शामिल मदों की विभागवार तालिका।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	मद संख्या	पृष्ठ
1	शिक्षा विभाग	1–6	1–2
2	जल शक्ति विभाग	7–11 व 27	3–4 व 8
3	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12–20 व 129–131	4–7 व 39–40
4	लोक निर्माण विभाग	21–26 व 28–35	7–11
5	स्वास्थ्य विभाग	36	11
6	ग्रामीण विकास विभाग	37–42 व 44	11–13
7	कार्मिक विभाग	45–69	13–19
8	श्रम एंव रोजगार विभाग (कामगार कल्याण बोर्ड)	70–71	19–20
9	उद्योग विभाग	72–73	21
10	पशुपालन विभाग	74–76	21–22
11	राजस्व विभाग	77–97	23–28
12	कृषि विभाग	43 व 98–100	13 व 28–29
13	बागवानी विभाग	101	29
14	भाषा एंव संस्कृति विभाग	102	29
15	चुनाव विभाग	103 –108	30–32
16	पिछड़ा वर्ग आयोग	109 – 114	32–34
17	जनगणना संचालन	115 – 117	34–35
18	पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम	118 – 128	35–39
19	उपायुक्त हमीरपुर	132 – 134	40–41
20	उपायुक्त मण्डी	135 –141	41–43
21	उपायुक्त चम्बा	142–143	43–44
22	उपायुक्त कांगड़ा	144–152	44–46
23	अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों के नाम व उनकी संख्या		47–56

दिनांक 12 दिसम्बर 2021 को दोपहर बाद 2:00 बजे, राजकीय कॉलेज सभागार धर्मशाला में माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अन्य पिछडा वर्ग कल्याण बोर्ड की बारहवीं बैठक हेतु कार्यसूची

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:–

1. **हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेजों, कृषि विश्व विद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय में प्रवेश के दौरान अन्य पिछडा वर्ग के रोस्टर को न अपनाकर अभ्यर्थियों की अनदेखी की गई है। जिससे इस वर्ग में रोष है। अतः प्रवेश के दौरान रोस्टर को कडाई से लागू किया जाए और अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाए जाने का प्रावधान किया जाए।**
(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर,तहसील ज्वालामुखी,,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(शिक्षा विभाग)

2. **सरकार द्वारा अगस्त, 2020 में टीजीटी व पीटीए आदि अध्यापकों के नौकरियों के दौरान आरक्षण रोस्टर सही ढंग से नहीं अपनाया गया है। जिसके चलते अन्य पिछडा वर्ग के कई अध्यापकों को आरक्षण का लाभ न मिल पाने के कारण नौकरी से वंचित रह गए हैं ।**
(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर, तहसील ज्वालामुखी,, जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

टीजीटी अध्यापकों का मामला प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित है । पी0टी0ए0 अध्यापकों का नियमतिकरण का मामला उच्च न्यायलय (सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 2850/2020 पवन कुमार बनाम हि0प्र0 सरकार) के अन्तिम निर्णय पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त पी0टी0ए0 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धित विद्यालयों की पी0टी0ए0 कमेटी द्वारा की गई थी। अतः इसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की जा सकी।

अन्य नवीनतम सूचना निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(शिक्षा विभाग)

3. **राजकीय प्रा0 पाठशाला धनोटू की चारदीवारी के निर्माण हेतु जहां पर ओ0बी0सी0 समुदाय के बच्चे लगभग 80 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहें । जगह जगह उबड–खाबड है अतः बच्चों की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए चारदीवारी का निर्माण अति आवश्यक है ।**
(तिलक राज कष्यप वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(शिक्षा विभाग)

4. **ओ0बी0सी के विद्यार्थियों को हर तरह से पढाई व ट्रेनिंग में रिजर्व सीटें मिलें।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

इस सम्बन्ध में सरकार स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(शिक्षा विभाग)

5. **ओ0बी0सी0 को जो 17 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है वह एम0 बी0 बी0 एस0 में केवल 2 प्रतिशत ही दिया जाता है। जो कि तर्कसंगत नहीं है। इसका क्या कारण है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए।**
(श्री चुन्नी लाल पुन्डीर सुपुत्र स्व0 जय करण, गांव पलही डा0 भरेड़ी तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(शिक्षा विभाग)

6. **2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसे रातों रात नौकरियों और सभी शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया। सभी मेडीकल कोलेज में 10 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 64 सीटें दे दी। 93वें संशोधन व रिजर्वेशन इन एजूकेशन इन्स्टीटूशन एक्ट,2006 के अनुसार ओ0बी0सी0 को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। हिमाचल में 18 प्रतिशत आरक्षण होते हुए ओ0बी0सी0 को मात्र 14 सीटें दी जा रही है, जो समझ से बाहर है ।**
(हरि सिंह पुत्र जैसी राम गांव हिरण डा0 कोहाला, तह0 जवालामुखी जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(शिक्षा विभाग)

जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित मदें:–

7. **वगोडा पंचायत में जो कूहल कुसमल,वगोडा,लटवाला,नियाड के लिए सरकारी कूहल बनी है उस का इलाके के किसानों को पानी नही मिल रहा ।यह कूहल सोरभ वन बिहार से कुसमल,वगोडा लटवाला तक जाती है। यह एक ओ0 बी0 सी0 बहुल पंचायत है और सब किसान है, कूहल का पानी जल्दी पहुंचाया जाए।**

(चुनी लाल चौधरी पुत्र श्री रिझू राम गांव लटवाला, डा0 बगौडा ,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

8. **गांव झौला, (पंचायत जरून्डी) में पानी की बडी स्कीम बननी चाहिए ताकि ग्राम वासियों को पानी की दिक्कत न आए ।**

(मान चन्द पुत्र फन्दरी राम गांव झोंला,डा0 जरून्डी,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

9. **झौला गांव में दो हैंडपम्प लगने चाहिए जिससे की पानी की समस्या दूर होनी चाहिए।झौला गांव में कम से कम 50 घर है ।**

(मान चन्द पुत्र फन्दरी राम गांव झोंला, डा0 जरून्डी ,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

10. **कासड. गांव में एक हैडपम्प लगना चाहिए ताकि लोगो को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े (गांव जरून्डी)**

(मान चन्द पुत्र फन्दरी राम गांव झोंला,डा0 जरून्डी,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

11. **किसानों की बाढ से बही हुई जमीन को दोबारा से डंगे इत्यादि लगाकर काश्त के योग्य बनाया जाये ।**
(कुलदीप कुमार पुत्र श्री भगवान दास गांव बरवाला, घियाणकलां, त0 धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग से सम्बन्धित मदेंः–

12. **सदस्यों के पहचान कार्ड बनाये जाने चाहिये**
(कैप्टन देवराज देहल गांव मटकर,डा0 बाहिना, तहसील बडसर,जिला हमीरपुर,)

विभागीय उत्तर

सभी माननीय सदस्यों के पहचान कार्ड बना दिए गए है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

13. **ओ0बी0सी को मिलने वाले मकानों की संख्या बढाई जाए वर्तमान में जो न के बराबर है, कल्याण विभाग में 8 से 10 वर्ष पिछले मकानों की भी स्वीकृति नही हुई है।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

गत चार वर्षों में 2018 से 2021–22 तक ओ0बी0सी वर्ग हेतु स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के तहत 2018–19 से 2021–22 तक क्रमशः 404, 239, 233, एवं 261 मामलों सहित कुल 1137 लाभार्थियों को बजट उपलब्ध करवाया गया। वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

14. **गृह निर्माण अनुदान योजना के अर्न्तगत अन्य पिछडा वर्ग के अंर्तगत मामले कम संख्या में स्वीकृत किये जाते हैं,जिस कारण लम्बित पढे मामलों की संख्या बहुत अधिक बढ चुकी है।लम्बित मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा से ज्यादा मामले स्वीकृत किए जायें ।**
(अर्जुन सिंह गांव व डाकघर टालीवाल,तहसील हरोली,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

15. **ओ0 बी0 सी0 में कितनी जातियां हैं, और कौन–2 सी हैं ।**
(देश राज चौधरी,ग्रा0 व डा0 नौरा,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल प्रदेश में राज्य अन्य पिछडा वर्ग सूची के अर्न्तगत 52 जातियां शामिल है । जबकि केन्द्र में अन्य पिछडा वर्ग सूची में 56 जातियां है । सूची संलग्न है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

16. **ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट प्रदान किया जाए।**
(सुमन चौधरी गांव नागन,डा0 खडानाल,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

17. **सरकार (राज्य व केन्द्र) की योजनाओं को घर–घर पहुंचाना ताकि वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके।**
(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा पंचायत, तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर विभागीय योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार नियमित तौर पर तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी सहित राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जागरूकता शिविर लगाकर किया जाता है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों , स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा तहसील व जिला स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित करके सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ निर्धारित प्रपत्रों को भी पात्र लाभार्थियों एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को आबंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी कार्यक्रमों में विभाग की प्रर्दशनी लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जाता है। विभागीय वेबसाईट http://esomsa.hp.gov.in/ पर भी विभागीय योजनाओं के सार संग्रह सहित नियमों व अधिनियमों की अधिसूचनाओं की जानकारी उपलब्ध है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

18. **सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग द्वारा जो बुढापा पैंशन,विधवा पैंश व अपंग पैंशन उपलब्ध करवाई जाती है, उसे घर द्वार पर पहले की तरह डाकिये द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग बूढे व चलने में असमर्थ है, आजकल यातायात भी बहुत है तथा कोरोना का कहर भी जारी है।**

(नरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह गांव व डा0 पठीयार,तहसील नगरोटा बगवां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

विभाग द्वारा अति वृद्ध एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले पैंशन लाभार्थी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं को पैंशन राशि उनके खाते में डालने के साथ–साथ घर द्वार पर डाक विभाग द्वारा वितरित करने का प्रावधान किया गया है जिस बारे डाक विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

19. **सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग द्वारा जो आवास योजना के लिए अनुदान दिया जाता है,उसे पूरी छानबीन उपरान्त ही पात्र व्यक्तियों को दिया जाए।**

(नरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह गांव व डा0 पठीयार,तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

तहसील स्तर पर तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर, मौके पर मकान की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। पूर्ण छानबीन के उपरान्त ही आवेदन जिला कल्याण अधिकारी को जिला कल्याण समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जिला कल्याण समिति के अनुमोदन उपरांत ही मामला स्वीकृत किए जाने का नियम में प्रावधान है।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

20. **कन्या योजना के तहत दी जाने वाली राशि को विवाह उपरान्त शीघ्र दिया जाए।**

(नरेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह गांव व डा0 पठीयार,तहसील नगरोटा बगवां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि का भुगतान विवाह की प्रस्तावित तिथि से एक माह पहले तथा यदि विवाह पहले ही हो चुका है तो विवाह के बाद छः माह की अवधि के भीतर करने का प्रावधान है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त

अनुदान राशि शीघ्र स्वीकृत करके लाभार्थी को प्रदान की जाती है बर्श्ते बजट उपलब्ध हो तथा आवेदक द्वारा सभी वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा किए हो।

(सा0 न्या0 एवं अधि0 विभाग)

(महिला एवं बाल विकास निदेशालय)

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:–

21. **गांव रठोल श्री राम सिंह के घर से बनारसी के घर तक एक सड़क है जो 600 मीटर लम्बी है को पक्का किया जाए इसके लिए 5 लाख रूपये की राषि स्वीकृत की जाए।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

22. **मेरा गांव रेवग के अर्न्तगत आता है। मेरे गांव का नाम कांगरी है। जहां पर 80 प्रतिषत आबादी अन्य पिछडा वर्ग की है।इसी गांव में प्रैश्ंवा नाम का एक स्थान है। जहां पर गांव वालो का एक दाने ससंरवाहु का मन्दिर है इस जगह पर लोगों का आना जाना हमेषा लगा रहता है परन्तु वहां पर कोई ठहरने का स्थान ना होने के कारण लोगों को परशानी उठानी पडती है इस मन्दिर के लिए कोई सडक भी नही है यह मन्दिर सडक से लगभग 300 मीटर दूरी पर है अतः निवेदन है कि यहां पर एक सराय भवन बनाया जाए साथ ही मन्दिर के लिए सडक का भी निर्माण किया जाए।**
(धर्म प्रकाश वर्मा,ग्राम पंचायत रेवग,तहसील सुन्नी,जिला शिमला,हि0प्र0।)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

23. **कुड वाया (वलडे) टिहरी सडक तथा ध्रुग खड पर पुल निर्माण।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

24. **भटावां से गगल गांव को पुली निर्माण।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

25. **डुक तथा वनेरा पुल निर्माण।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

26. **खोला,चौकी,लाहडू,भटेड,भदंडू के बीच पुल निर्माण करवाना।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

27. **ग्राम पंचायत नाहलियां में आई0पी0एच0 जे0ई0 आफिस खुलवाना।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जल शक्ति विभाग)

28. **ग्राम पंचायत नाहलियां में रेस्ट हाऊस निर्माण।**

(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

29. **वार्ड नं0 3 व 4 दोनों वार्ड ओ0 बी0 सी0 से सम्बन्ध रखते हैं, जनसंख्या लगभग 3 हजार है। यहां पर सड़क बनाना अति अनिवार्य है, डोली वार्ड न0–3 मस्जिद से लेकर गलवा टर्मिनल पुरूषोतम चौधरी व तारा चन्द चौधरी के घर तक सड़क निर्माण।**
(तिलक राज कष्यप वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

30. **मुख्य सडक हमीरपुर/सुजानपुर से धनोटू गांव(ग्राम पंचायत करोट)विकास खंड सुजानपुर श्री राज कुमार पुत्र श्री सीता राम गांव बडई चौधरी बस्ती लगभग 500 आबादी पर सडक निर्माण ।**
(तिलक राज कष्यप वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

31. **जरून्डी गांव के लिए सडक 7 लाख रूपये की राशि से निर्माण होना चाहिए ।**
(मान चन्द गांव झोंला,डा0 जरून्डी,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

32. **कासड. गांव के सडक 10 लाख रूपये की रशि से निर्माण होना चाहिए (गांव जरून्डी)**
(मान चन्द गांव झोंला,डा0 जरून्डी,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

33. **टीका भरेड वार्ड न0 4 में सडक के सुधारीकरण के बारे में कार्यवाही जरूरी है।**
(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

34. **योल–कांगडा बाया बरवाला के सडक का सुधारीकरण के बारे में कार्यवाही जरूरी हैं।लोगों ने सडक किनारे पूरी जमीन रोक रखी है,आना–जाना मुश्किल है और सडक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बे–नाजायज कब्जाधारियों को नोटिस दिया जाये।**
(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डप0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

35. **गांव पाराई, डा0 करयास से निचले जलवास तक मोटर योग्य सडक का निर्माण करवाया जाए ।**
(सूजी राम पुत्र श्री गुरदयाल, गांव जलवास, डा0 करयास, तहसील पांगी,जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(लोक निर्माण विभाग)

स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें:–

36. **ग्राम पंचायत नाहलियां में पी0एच0सी0 खोलना।**
(मान चंद ग्रा0 चौला,डा0 जरूडी,तहसील खुडिया जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

The proposal with regard to opening of PHC at Gram Panchayat Nahilyan District Kangra has already been sent to Govt. vide this Directorate letter No. HFW-H(IV)-F-4/2006 dated 23.9.2020, however, a request has again been made with the Govt. for opening of the aforementioned PHC at District Kangra vide this Directorate letter No. HFW-H(IV)-F-4/2006 dated 8.12.2021.

(स्वास्थ्य विभाग)

ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित मदें:–

37. **मुहाल रठौल राम सिंह के घर से बनारसी के घर तक पक्की सडक बनवाने हेतु 10 लाख रूपये स्वीकृति की मांग**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

38. **श्रीमति सावित्री देवी पत्नी इन्द्र देव नायक गांव रठोल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी को एक सौर ऊर्जा लाईट स्वीकृत की जाए।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

39. **गांव गजरेहडा में सावित्री देवी पत्नी श्री इन्द्र देव को एक गौ शेड साथ में खुरली पशुओं के लिए स्वीकृत कर अनुमानित राशि डेढ लाख खर्च होगी।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

40. **नरेश कुमार पुत्र इन्द्र देव और घनश्याम की जमीन पर एक टैंक बनवाया जाये।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

41. **मुहाल रठोल में इन्द्र देव नायक,नेत्र सिंह,दुर्गा दास के घर के पास सौर ऊर्जा लाईट लगाई जाये।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

42. **शमशानघाट कुण्डी नाला में एक कमरे के निर्माण हेतु तीन लाख स्वीकृत किए जाएं।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

43. **धनोटू गांव की लगभग 500 हेक्टेयर उपजाउ भूमि को आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद करने पर 400 परिवारों की भूमि को तार द्वारा बाढबन्दी करने हेतु ।**
(तिलक राज कश्यप वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कृषि विकास विभाग)

44. **महिला मंडल भवन वार्ड न02 में बनाया जाना चाहिए।**
(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(ग्रामीण विकास विभाग)

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:–

45. **केन्द्र की तर्ज पर सरकारी व अर्द्धसरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाये।**
(रवि कुमार गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

46. **ओ0बी0सी0का आरक्षण 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत करने हेतु।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

47. **ओ0बी0सी0का आरक्षण प्रथम क्लास के लिए 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने हेतु।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

48. **ओ0बी0सी को भारत सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण जारी किया गया है, हिमाचल सराकर भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करें।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

49. **ओ0बी0सी के विद्यार्थियों को हर तरह से पढाई व ट्रेनिंग में रिजर्व सीटें मिलें।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

50. **सभी तरह की आउटसोर्स भर्तियों में ओ0बी0सी0 का कोटा हो।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

51. **ओ0बी0सी0 से संबधित कर्मचारी व अधिकारी को पदोन्नति में ओ0बी0सी0 का लाभ मिलें।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

52. **ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में भी कोटे के आधार पर ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां दी जायें।**

(सुमन चौधरी गांव नागन,डा0 खडानाल,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा,मोबाईल न0 9418017618)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

53. **ओ0बी0सी0 का जो आरक्षण 18 प्रतिशत है तो 27 प्रतिशत करवाना।**
(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

54. **क्लास–।, क्लास–।। में रिजर्वेशन जो कि लगभग 0 प्रतिशत है वो केन्द्र के अनुसार होनी चाहिए।**
(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

55. **ओ0बी0सी0 बैकलाग को जल्द से जल्द भरने के लिये प्रयास करना।**
(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

56- **Whether the backlog in Govt. services are being fulfilled if so to what extent and complied with as per reservation policy to the OBC candidates in sevices and in educational institutions like college of MBBS, Agriculture Universities, Engineering Colleges and H.P. University as per roaster And in accordance with reservation policy.**
(रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगदीश सिंह ग्राम व डा0 अम्ब खास,तहसील अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

57. **ओ0बी0सी0 को जो 17 प्रतिषत आरक्षण दिया जाता है वह एम0बी0बी0एस0 में केवल 2 प्रतिषत ही दिया जाता है। जो कि तर्कसंगत नहीं है। इसका क्या कारण है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए।**
(श्री चुन्नी लाल पुन्डीर गांव पलही डा0 भरेड़ी तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

58. **हिमाचल प्रदेश सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरियों में ओ0बी0सी0 को एस0सी0 एस0टी0 की तरह आरक्षण प्रदान किया जाये।**
(विनोद मेहरा गांव व डा0 लंबागांव तह0 जयसिंहपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

59. **क्रीमीलेयर शब्द हटाया जाये।**
(योग राज मैहरा ग्राव व डा0 कोटला,तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

60. **केन्द्र सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण दे रही है जबकि कुछ राज्य भी 27 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। हिमाचल सरकार 17 प्रतिशत आरक्षण दे रही है इसे 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाये । क्योंकि पूर्व भाजपा सरकार ने ही 17 प्रतिशत आरक्षण दिया था। सरकारी नौकरियों में रिक्त पडे पद जो ओ0बी0सी0 कोटे की प्रतिशतता बनती है,उसे भरने की अनुकम्पा करे ।**
(योग राज मैहरा ग्राव व डा0 कोटला,तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

61. **2019 में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसे रातों रात नौकरियों और सभी शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया सभी मेडीकल कोलेज में 10 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 64 सीटें दे दी। 93वें संशोधन व रिजर्वेशन इन एजूकेशन इन्स्टीटूशन एक्ट,2006 के अनुसार ओ0बी0सी0 को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। हिमाचल में 18 प्रतिशत आरक्षण होते हुयें ओ0बी0सी0 को मात्र 14 सीटें दी जा रही है, जो समझ से बाहर है ।**
(हरि सिंह गांव हिरण डा0 कोहाला,तहसील ज्वालामुखी जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

62. **स्टॉफ सलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीपुर में 10 आदमियों से ज्यादा हो तो ओ0बी0सी0 का मेम्बर नियुक्त होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला में भी 10 लोगों के ऊपर यदि टेस्ट होता है तो ओ0बी0सी0 का मेम्बर नियुक्त होना है, जो नही हो रहा है ।**
(हरि सिंह पुत्र जैसी राम गांव हिरण डा0 कोहाला,तहसील जवालामुखि जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

63. **ओ0बी0सी0 को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए।**
(राजमल गांव धलेरा,डा0 गगल,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

64. **हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेजों,कृषि विश्व विद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय में प्रवेश के दौरान अन्य पिछडा वर्ग के रोस्टर को न अपनाकर अभ्यर्थियों की अनदेखी की गई है। जिससे इस वर्ग में रोष है। अतः प्रवेश के दौरान रोस्टर को कडाई से लागू किया जाए और अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाने का प्रावधान किया जाए।**

(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर तहसील ज्वालामुखी,,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

65. **हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के दौरान आरक्षण बारे रोस्टर नहीं अपनाया जा रहा है जिससे इस वर्ग में रोष है।इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कल्याण समिति की बैठक में भी जोरशोर से उठाया गया था।इस बैठक की अध्यक्षता माननीय विधायक श्री बलवीर सिंह विधायक चिंतपुर्णी ने की थी।जिसका बाद में हिमाचल प्रेदश सरकार ने नोटिफाईड किया गया है। विभागों की लापरवाही से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार के विभिन्न विभागों में मुखिया आरक्षण बारे सरकारी आदेशों व नियमों की अनदेखी करके आरक्षित वर्ग का शोषण कर रहे हैं जिसका कडा संज्ञान लिया जाना चाहिए और ओबीसी को नौकरियों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।**

(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर तहसील ज्वालामुखी जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

66. **विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में नौकरियों में चल रहे ओबीसी वर्ग के आरक्षण के बैकलाग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ मिल सके।**

(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर,तहसील ज्वालामुखी,,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

67. **ओ0बी0सी0 जाति के लोगों को भी जैसे एस0सी0 और एस0टी0 के लिए लगाने की उम्र तथा कोई फार्म भरने की फीस में समानता होनी चाहिए।**
(जगीरी राम चौधरी, गांव मुगलावाला,डा0 राजबन, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

68. **अन्य पिछडा वर्ग के सभी कर्मचारी व अधिकारियों को पदोन्नति में अनु0जाति/अनु0जन जतियों की तरह आरक्षण दिया जाए।**
(दिले राम ग्राम घटमोहट,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

69. **हिमाचल प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए इंटरवीयू पैनल में कम से कम एक अधिकारी को डाला जाए ताकि आरक्षण रोस्टर की अनदेखी न हो सके।**
(किशोरी लाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव व डा0 डिग्गर तहसील ज्वालामुखी जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कार्मिक विभाग)

श्रम एंव रोजगार विभाग से सम्बन्धित मदें:–

70. **सभी प्रकार के गृह निर्माण,मंदिर निर्माण ,देव रथ निर्माण व लुप्त हो रही मिटटी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का पंजीकरण करके 60 वर्ष की आयु होने पर विशेष पैंशन सुविधा होनी चाहिए।**
(दिले राम पुत्र श्री खीम दास ग्राम घटमोहट,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board is functioning in Himachal Pradesh with the prime motive to give various benefits to all the

unorganized sector workers engaged in Building and other construction works. Board is running various welfare schemes to the registered beneficiaries of the H.P.BOCW Welfare Board. Further registration process related to the workers for taking the benefit of schemes run by the Board done by the Labour Officer/LI Hamirpur (RE&CS) Rules,2008, wherein it is clear that:

The application for registration shall be accompanied with a certificate or wage slips from the employer or contractor or copy of Muster Roll or Attendance Rister to the effect that the applicant is a construction worker. If such certificate is not available, a certificate issued either by the registered Construction Workers Union or Executive Officer of the concerned Local Urban Bodies or Secretary of Gram Panchayat to the effect that applicant has worked for at least 90 days in the preceding twelve months may be considered. The certificate issued by agencies other than the employer shall contain complete details of the employer where the applicant has worked in the relevant period and such certiciate and such shall be got verified by the authorized officer from the concerned employer(s).

(कामगार कल्याण बोर्ड)

71. सभी तरह के कारीगरों का श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो जिसका प्रमाण घर बनाने वाले मालिक द्वारा हो क्योंकि न मनरेगा में काम करते है और न किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार के पास काम करते है।

(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board is functioning in Himachal Pradesh with the prime motive to give various benefits to all the unorganized sector workers engaged in Building and other construction works. Board is running various welfare schemes to the registered beneficiaries. Further registration process related to the workers for taking the benefit of schemes run by the Board done by the Labour Officer/LI Hamirpur (RE&CS) Rules,2008, wherein it is clear that:

The application for registration shall be accompanied with a certificate or wage slips from the employer or contractor or copy of Muster Roll or Attendance Rister to the effect that the applicant is a construction worker. If such certificate is not available, a certificate issued either by the registered Construction Workers Union or Executive Officer of the concerned Local Urban Bodies or Secretary of Gram Panchayat to the effect that applicant has worked for at least 90 days

in the preceding twelve months may be considered. The certificate issued by agencies other than the employer shall contain complete details of the employer where the applicant has worked in the relevant period and such certiciate and such shall be got verified by the authorized officer from the concerned employer(s).

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कामगार कल्याण बोर्ड)

उद्योग विभाग से सम्बन्धित मदें:–

72. **फर्नीचर इन्डस्ट्रीज परमिशन की प्रक्रिया को सरल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमिशन देकर फर्नीचर व मूर्तियां बेचने से रोजगार में बढावा होना चाहिए।**
(दिले राम पुत्र श्री खीम दास ग्राम घटमोहट,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(उद्योग विभाग)

73. **ओ0बी0सी लोग जो मकान बनाते है, मन्दिर भी बनाते है,मिटटी के बर्तन ,बांस का फर्नीचर,लकडी का फर्नीचर बनाते है उनको लघु उधोग में लाकर प्रशिक्षण, ऋण देकर उनकी आजीविका बढाएं।**
(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(उद्योग विभाग)

पशु पालन विभाग से सम्बन्धित मदें:–

74. **आवारा पशुओं द्वारा जमीन फसल को भारी क्षति पहुंच रही है तथा कईं सांड मनुष्यों को भी नुकसान पहुचा रहे है । यदि इनके लिए कोई रोकथाम हो सके तो अवश्य कार्यवाही करें, जैसे की गौसदन आदि की व्यवस्था इत्यादि।**
(नानक चन्द ग्रा0 वडा0 अरला–पालमपुर, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार आवारा पशुओं की रोकथाम बारे हिमाचल प्रदेश में गौसेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसके अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला में भूमि उपलब्धता के

आधार पर गौअभ्यारण खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश के बेसहारा गौवंश को शीघ्र निजात मिल सके ।

इसके अतिरिक्त जिला कांगडा में वर्तमान में चार जयसिंहपुर तथा दो बडे गौसदनों(बाईं अटारियां व व मरूह)का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका निर्माण कार्य पूरा होते ही जिला कांगडा की जनता को बेसहारा गौवंश से निजात मिल जाएगी।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पशुपालन विभाग)

75. **आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से निजात दिलाने बारे सरकार से विशेष अनुरोध है ।**
(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार आवारा पशुओं की रोकथाम बारे हिमाचल प्रदेश में गौसेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसके अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला में भूमि उपलब्धता के आधार पर गौ अभ्यारण खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश के बेसहारा गौवंश को शीघ्र निजात मिल सके ।

गौ सेवा आयोग द्वारा प्रदेष में 7 गौ अभ्यारण, 9 बडे गोसदन व 21 छोटे गोसदनों के निर्माध व विस्तार हेतु धनराशि जारी कर दी गई है। जिसके फलस्वरूप 4 गो अभ्यारण, 1 बडा गोसदन तथा

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पशुपालन विभाग)

76. **ग्राम पंचायत बाल्ट में वैटनरी का सब सैंटर को बड़े अस्पताल का दर्जा दिया जाए।**
(इन्द्र देव नायक गांव रठौल डा0 बाल्ट तह0 बल्ह जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

पशु औषाधालय बाल्ट को स्तोरान्नत करने हेतु उप–निदेशक प0स्वा0/प्र0 मण्डी को दिनांक 28.4.2021 द्वारा सर्वेक्षण रिर्पोट भेजने पत्र लिखा जा चुका है।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पशुपालन विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें:–

77. **ओ0बी0सी0 जाति के लोगों का जो सर्टिफिकेट बनता है।।उनकी सीमा 5 वर्ष कम से कम होनी चाहिए।**
(कल्याण सिंह चौधरी गांव गुरूवाला डा0 भंगानी जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

78. **ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष की जाये।**

(रवि कुमार गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

79. **ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैद्यता 1 वर्ष की जगह 5 वर्ष तक बढाने के लिये प्रयास करना।**
(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना, तहसील बैजनाथ जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

83. **The validity of certificate should be increase at least for the period of 5 years instead of one year.The reason behind that as per prescribed limit of income it must be considered that pay Commission of India reported once in decade (i.e. 10 years) and there are a very few people who cross the eligibility criteria. Sir, in case a person applied for Govt. job on the basis of OBC certificate then at that time State Govt. always called fresh report from Halka Patwari or fresh O.B.C certificate from Tehsil office and concerned department. So, one year OBC certificate is not appreciable. There a very small probability that the income of a person increase in a year and come under the criteria of creamy layer or with a routine increment and two DA provided by govt.**
(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

84. **It is also with due respect stated that generally O.B.C certificates are mostly used by the students for their studies, for getting the schorlarships and for applying in different institutes, competitive exams(Govt.or Private Institutes),but due to one year criteria those students face lot of problems and hardships in the shape of wastage of time, wastage of money, mental stress, physical harassments and even sometime non-availability of revenue officers like concerned Patwari,Tehsildar etc. and to obtain such certificate and due to which they have to face these kinds of hardships and problems which also effect the study of those students.**

It is also very much necessary to bring this fact in your good knowledge that the process ot obtain the O.B.C certificate is more than 2 or 3 days or some time it will take more than a week also and due to which the people have to face lot of hardships.

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

85. **Even it is also bring in your good knowledge that those OBC persons who belong to BPL and IRDP families etc. and used to work as laborer, farmers and in small scale private jobs also face lot of hardships and also face wastage of time and money which is not good for those people and some time they fail to obtain the OBC certificate.**

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

86. **We also wants to bring this fact in your good knowledge that even one year criteria of validity of OBC certificate also creates huge burden on administration in patwar circles,Tehisl Officers etc. and due to that other revenue works are not going proper and also increase the unnecessary work of administration.**

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

87. **We also wants to bring this fact into your good knowledge that for example if in a state the OBC population is about approx 24 lacs and total OBC families suppose 12 Lacs and out of 12 Lacs if 50% of them prepared OBC certificate every year then it means in every year there are 6 Lacs OBC certificate are prepared issued by the Tehsildars and Halka Patwaries which is unneccerssary burden on state as well as on administration and also loss of precious time and money of the State.**
(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

88. **We also wants to bring this fact into your good knowledge that every Tehsil or concerned department office has their own parameters and criteria or terms and conditions for issuing the certificate due to unawareness which is the most drastic thing.Even the General Public are also not aware about the rules for getting the OBC certificate.**
(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

89. We also wants to bring this fact into your good knowledge that at the time of interview different criteria are fixed for the certificate some concerned department ask for Patwar circle verification copy or affidavit for income even the certificate are being issued by the higher authorities or gazzeted class 1 officer.

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

90. **This is the important fact bring into your kind notice and knowledge that Married girls are also facing another hurdle to show every time the verification of both Patwar circles even though the status of girls never changes even they are married in other like Rajput or Brahmin etc.,so the OBC certificate must be permanent to the married daughters because once she belongs to OBC catergory and if before and after her marriage, her parents income not cross the limit of creamy layer or other criteria then there is unnecessary hardships to those girls who are married,but every year she has to visit the parental house and to take report of concerned Patwari and countersign of concerned Tehsildar which is legally not necessary because if she already belongs to OBC category and before marriage she was not come under criteria of creamy layer then question of renewal of OBC certificate <u>does not arise and that certificate must be permanent.</u>**

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

91. **Instead of making a new certificate it must renewable by providing income certificate or relevant documents. As we are citizen of India are living in the era of Digital India. An Online portal must be started similar to Government of west Bengal for issuing certificate. However we people are facing discrimination in society by providing again and again in concerned department that we are belonging to such categories. We remains in OBC either under creamy layer or non creamy layer. We are pleased to requested that it must be like a certificate of SC/ST category so that there is a not matter of discrimination in society or at public places as most of OBC people are very poor they are helpless to pay again for certificate even we all remains in OBC if the income exceed from the prescribed limit set by government. It hardly matters as our caste does not change and we will remain in OBC and it shall be mentioned that they belongs to creamy or non creamy layer as per instruction.**

(रितेश पलियाल पुत्र श्री देश दीप चौधरी ग्रा0 व डा0 अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

92. **ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र जो कि हर वर्ष बनाना पड़ता है वह कम से कम 5 वर्ष तक वैध होना चाहिए।**
(जगीरी राम चौधरी, गांव मुगलावाला,डा0 राजबन, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

93. **हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व रिकार्ड में उपजति झीवर शब्द को हटाकर मैहरा जाति के नाम से दर्ज किया जाये।**
(विनोद कुमार मेहरा गांव व डा0 लंबागांव तह0 जयसिंहपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

94. **ओ0बी0सी0 के आधार पर जो सर्टिफिकेट बनता है,उसकी अवधि एक वर्ष की रहती है,उसको बढाकर कम से कम तीन वर्ष के लिए करना।**
(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन तह0पालमपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

95. **ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की समय अवधि एक वर्ष से बढाकर पांच वर्ष तक की जाये।**
(योग राज मैहरा ग्राव व डा0 कोटला,तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

96. **ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय सीमा बढाई जाये।**
(योग राज मैहरा ग्राव व डा0 कोटला,तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

97. **अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए बनना चाहिए।**
(जोगिन्द पाल ग्राव व डा0 उलैहडियां,तहसील इन्दौरा,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(राजस्व विभाग)

कृषि विभाग से सम्बन्धित मदें:–

98. **किसानों के लिए बीज इत्यादि का उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण होना चाहिए।**

(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0धियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कृषि विभाग)

99. **अन्य पिछडा जाति वर्ग के लोगों को कृषि व बागवानी उपकरणों के खरीद के लिये आरक्षण आधारित किया जाये ।**
(रवि कुमार ,गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कृषि विभाग)

100. **किसानों के लिए बीज इत्यादि का उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण होना चाहिए।**
(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(कृषि विभाग)

बागवानी विभाग से सम्बन्धित मदें:–

101 अन्य **पिछडा जाति वर्ग के लोगों को कृषि व बागवानी उपकरणों के खरीद के लिये आरक्षण आधारित किया जाये ।**

(रवि कुमार गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(बागवानी विभाग)

भाषा एंव संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें:–

102. अंजनी माता मंदिर बरवाला के सौन्दर्यकरण का कार्य किया जाये।उतरी भारत में यह केवल एक ही प्राचीन मंदिर है।

(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

भाषा एंव संस्कृति विभाग द्वारा प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार को सूचित किया है कि प्राचीन मंदिर के सौंदर्यकरण हेतु सहायतानुदान प्रदान करना विभागीय योजना में नियमों के कार्यक्षेत्र से बाहर है । यदि प्रार्थी श्री अंजनी माता के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार/मुरम्मत कार्य करना चाहते हैं तो इस हेतु विभाग की योजना जो कि धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0–एफ (8)–1/2016 दिनांक 03.03.2017 द्वारा संशोधित रूप में अधिसूचित हुई है, जिसमें धार्मिक संस्थान को उसी पारम्परिक वास्तुशैली में जीर्णोद्धार/पुननिर्मित करने का प्रावधान है।यदि प्रार्थी विभागीय योजना के अनुरूप उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार/पुनर्निमाण कार्य करना चाहते है, तो इस हेतु योजना के विहित प्रपत्र के अनुरूप प्रकरण तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया है । तदानुसार विभाग आगामी कार्रवाही करेंगी।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(भाषा एंव संस्कृति विभाग)

चुनाव विभाग से सम्बन्धित मदेंः–

103. Kindly provide the reservation to OBC people in election proceeding so that they will provide equal representation in the state as per population in the State of H.P.

(कश्मीर सिंह पुत्र जसी राम ग्रा0 व डा0 लोहारली, तहसील घनारी (अम्ब),जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

The work of reservation of seats for certain categories in vidhan Sabha & Lok Sabha comes under the purview of the Delemintation Commission as constituted by the Election Commission of India from time to time . The delimintaion work in the State had already been finalized by the Delimtation Commission constituted earlier and its final notification was issued on 10th January,2007 and as per the said notification there is no reservation provision to OBC catergories in the House of the People/ State Legislative Assemblies.

(चुनाव विभाग)

104. Proper representation in Public Sector i.e Boards/Corporative/MC/NP/NAC please be given.

(श्री चन्दू लाल सुपुत्र स्व0 तुलसी राम गांव व डा0 मझीयार तह0 नदौन जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(चुनाव विभाग)

105. Reservation given in Vidhan Sabha/Lok Sabha and Rajya Sabha ?

(श्री चन्दू लाल सुपुत्र स्व0 तुलसी राम गांव व डा0 मझीयार तह0 नदौन जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

The work of reservation of seats for certain categories in vidhan Sabha & Lok Sabha comes under the purview of the Delemintation Commission as constituted by the Election Commission of India from time to time . The delimintaion work in the State had already been finalized by the Delimtation Commission constituted earlier and its final notification was issued on 10th January,2007 and as per the said notification there is no reservation provision to OBC catergories in the House of the People/ State Legislative Assemblies.

(चुनाव विभाग)

106. हिमाचल पंचायती राज में आरक्षण की तर्ज पर विधान सभा व लोकसभा में भी ओ0बी0सी0 वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाये ।

(विनोद मेहरा गांव व डा0 लंबागांव तह0 जयसिंहपुर,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

The work of reservation of seats for certain categories in vidhan Sabha & Lok Sabha comes under the purview of the Delemintation Commission as constituted by the Election Commission of India from time to time . The delimintaion work in the State had already been finalized by the Delimtation Commission constituted earlier and its final notification was issued on 10th January,2007 and as per the said notification there is no reservation provision to OBC catergories in the House of the People/ State Legislative Assemblies.

(चुनाव विभाग)

107. ओ0बी0सी0 को नगरपालिका चुनावों में रिजर्वेशन देना

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन,तहसील फतेहपुर, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(चुनाव विभाग)

108. सभी प्रकार के पंचायत ,बी0डी0सी0, जिला परिषद चुनावों में आरक्षण दिया जाए।

(दिले राम ग्राम घटमोहट,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस मद के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियमों 1994 की धारा 8ए78 तथा 125 के प्रावधानानुसार पंचायती राज संस्थाओं में सदस्यों एंव अध्यक्षों के पदों पर अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षित करने का प्रावधान है। किन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि अन्य पिछडा वर्ग की जनसंख्या उस क्षेत्र में 5 प्रतिशत से कम है तो भी आरक्षण नहीं होगा।

अतः उक्त प्रावधानों के दृष्टिगत तीनों स्तर पर अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण प्रावधित होने के कारण उक्त मांग का कोई औचित्य नहीं है । जिस कारण इस मद पर पंचायती राज विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जानी सम्भव नहीं।

(चुनाव विभाग)

पिछडा वर्ग आयोग से सम्बन्धित मदेंः–

109- That Union Govt. of India under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister Sh. Narender Modi Ji has given constitutional status to the central Backward Classes Commission by making an Act passed Parliament and also in Rajya Sabha.Whether the Govt. of Himachal Pradesh is giving constitutional status to the Backward Classes Commission of Himachal Pradesh by making it as an Act under the leadership of Sh. Jai Ram Thakur Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh because it is still Himachal Pradesh Backward Classes Commission order 1993.

(रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगदीश सिंह ग्राम व डा0 अम्ब खास,तहसील अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

यह मामला सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

110. केन्द्र सरकार द्वारा जो ओ0बी0सी0 वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह एक सराहनीय कदम है क्या यह हिमाचल प्रदेश में भी लागू है? यदि है तो इसके सदस्य कौन–कौन बनाए गए हैं।

(श्री चुन्नी लाल पुन्डीर सुपुत्र स्व0 जय करण, गांव पलही डा0 भरेड़ी तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

अभी राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा लागू नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा आयोग का गठन ''आदेश 1993'' के तहत दिनांक 30.09.1993 को किया गया है व आयोग के गठन के उपरान्त समय–2 पर इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती

रही है। किन्तु 04.04.2018 के उपरान्त सरकार द्वारा अभी तक आयोग के नियमित अध्यक्ष/सदस्यों की तैयारी नहीं की गई है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

111. हि0प्र0 ओ0बी0सी0 के अध्यक्ष की अविलम्ब नियुक्त की जाए।

(राजमल पुत्र स्वः श्री जैसी राम गांव धलेरा,डा0 गगल,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

श्री राम लोक घनोटिया निवासी गांव उम्मर डा0 घुम्मर तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा को अधिसूचना संख्या – Kalyan-Ch(10)-1/99-L दिनांक 06.08.2021 के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने दिनांक 10.08.2021 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसी तरह श्री राम लाल शर्मा निवासी गांव सिदहोठी डा0 पनोग तहसील शिलाई, जिला सिरमौर को अधिसूचना संख्या – Kalyan-Ch(10)-1/99-L दिनांक 15.11.2021 के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंनें दिनांक 15.11.2021 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

112. ओबीसी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए ओबीसी कमीशन का गठन किया जाए।हिमाचल प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए इंटरवीयू पैनल में कम से कम एक अधिकारी को डाला जाए ताकि आरक्षण रोस्टर की अनदेखी न हो सके।

(किशोरी लाल गांव व डा0 डिग्गर,तहसील ज्वालामुखी,,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोग का गठन "आदेश 1993" के तहत किया गया था। जिसमें ओ0बी0सी0 वर्ग को प्र्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। किन्तु दिनांक 27 मई 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा "आदेश 1993" में संशोधन किया गया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है। जबकि इंटरवीयू पैनल में ओ0बी0सी0 वर्ग से सम्बन्धित अधिकारों को शामिल करने का मामला सरकार के स्तर पर लिया जाता है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

113. ओ0बी0सी कमीशन पर विचार किया जाए।

(योग राज मैहरा ग्राव व डा0 कोटला,तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

यह मामला सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

114. केन्द्र सरकार द्वारा जो ओ0बी0सी0 वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह एक सराहनीय कदम है क्या यह हिमाचल प्रदेश में भी लागू है? यदि है तो इसके सदस्य कौन–कौन बनाए गए हैं।

(श्री चुन्नी लाल पुन्डीर सुपुत्र स्व0 जय करण, गांव पलही डा0 भरेड़ी तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

अभी राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा लागू नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा आयोग का गठन ''आदेश 1993'' के तहत दिनांक 30.09.1993 को किया गया है व आयोग के गठन के उपरान्त समय–2 पर इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती रही है।

श्री राम लोक घनोटिया निवासी गांव उम्मर डा0 घुम्मर तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने दिनांक 10.08.2021 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री राम लाल शर्मा निवासी गांव सिदहोठी डा0 पनोग तहसील शिलाई, जिला सिरमौर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंनें दिनांक 15.11.2021 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(पिछड़ा वर्ग आयोग)

जनगणना संचालन निदेशालय से सम्बन्धित मदेंः–

115. जनगणना 2021 में जातिगत हो ताकि सरकार के पास ओ0बी0सी का शुद्ध आंकडा हो।जनगणना 2011 में ओ0बी0सी0की कुछ जातियां सामान्य में डाला गया जिस कारण हम बहुत सारे विकास खण्डों में 5 प्रतिशत आबादी नहीं है और पंचायत चुनावों के आरक्षण से बाहर हुए।

(दिले राम भारद्वाज ग्राम घाटमोहाल,डा0 पनजैन,तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जनगणना संचालन)

116. ओ0बी0सी0 वर्ग की जनगणना अलग से की जाये ।

(रवि कुमार गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जनगणना संचालन)

117. For the Welfare of weaker section of OBC in Himachal Pradesh it is necessary that caste wise census of OBC are being conducted in the coming census 2021 for the purpose of reservation in services and educational institutions.It is requested that H.P. Govt. should take steps to insure the OBC population in Himachal Pradesh in the coming census.

(रमेश चन्द्र पुत्र श्री जगदीश सिंह ग्राम व डा0 अम्ब खास,तहसील अम्ब,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(जनगणना संचालन)

हिमाचल प्रदेश पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम से सम्बन्धित मदें:–

118. ओ0बी0सी0 के युवाओं के लिये रोजगार के लिये कम ब्याज पर ऋण दिया जाये।

(सुमन चौधरी गांव नागन,डा0 खडानाल,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम ओ0बी0सी0 वर्ग के पात्र हिमाचली लोगों/युवाओं को जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये से कम है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक नहीं है उनको रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत , 5.00 लाख से ऊपर व 10.00 लाख तक 7 प्रतिशत, 10.00 लाख से ऊपर व 15.00 लाख तक 8 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से निगम द्वारा ऋण दिए जाते हैं ।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

119. ओ0बी0सी0 वर्ग के युवाओं को स्वः रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। और सरकार से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना।

(पवन चौधरी गांव व डाकघर मझेरना,तहसील बैजनाथ,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम ओ0बी0सी0 वर्ग के पात्र हिमाचली लोगों/युवाओं को जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये से कम है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक नहीं है उनको रोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। 5.00 लाख तक 6 प्रतिशत , 5.00 लाख से ऊपर व 10.00 लाख तक 7 प्रतिशत , 10.00 लाख से ऊपर व 15.00 लाख तक 8 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से निगम द्वारा ऋण दिए जाते हैं ।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

120. ओ0बी0सी0 वित्त बैंक कांगडा की शाखा मण्डी में खोलने हेतु।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी/ऋण आवदेन हेतु प्रार्थना पत्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा निगम द्वारा समय समय पर हर जिले में जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः मंडी जिले में हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम की शाखा खोलने का निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को है। हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्वतः इसका फैसला नहीं ले सकता।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

121. ओ0बी0सी0 फाईनेन्स एण्ड डेवलोपमेंट कार्पोरेशन का गठन करना,जिसका कार्यालय कांगडा में है।

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन,तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी/ऋण आवदेन हेतु प्रार्थना पत्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा निगम द्वारा समय समय पर हर जिले में जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि

लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः किसी अन्य जिले/तहसील में हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम की शाखा खोलने का निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को है। हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्वतः इसका फैसला नहीं ले सकता ।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

122. **ओ0बी0सी0 वर्ग के लिये वित्त विभाग निगम का कार्यालय इस वर्ग की अधिक मांग को देखते हुए बिलासपुर जिला में इसकी शाखा खोली जाये ।**
(रवि कुमार,गांव पटटा, डा0 नसवाल, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर,)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी/राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी/ऋण आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा निगम द्वारा समय–समय पर हर जिले में जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः बिलासपुर जिले में हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की शाखा खोलने का निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को है । हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्वतः इसका फैसला नहीं ले सकता।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

123. **ओ0बी0सी0 वित्त एंव विकास निगम का मुख्य दफतर कांगडा जिला में खुला है जिससे 90 प्रतिशत लोग कांगडा संसदीय क्षेत्र के लोग ही लाभ ले रहे है जबकि इसका लाभ मण्डी जिला के ओ0बी0सी0 को नहीं मिल रहा है।अतः आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ओ0बी0सी0 वित्त एंव विकास निगम की उप शाखा मण्डी में खोली जाऐ।**
(कपूर चन्द ग्रा0 व डा0 मड,तहसील पधर,जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी/ऋण आवदेन हेतु प्रार्थना पत्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा निगम द्वारा समय समय पर हर जिले में जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः मंडी जिले में हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम की शाखा खोलने का निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को है। हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्वतः इसका फैसला नहीं ले सकता ।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

124. ओ0बी0सी0 फाईनेन्स एण्ड डेवलोपमेंट कार्पोरेशन का गठन जिला सिरमौर में करना, जिसका कार्यालय कांगडा में है।

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तरः– हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी/राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी/ऋण आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा निगम द्वारा समय–समय पर हर जिले में जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोगों को निगम द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः सिरमौर जिले में हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की शाखा खोलने का निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को है । हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्वतः इसका फैसला नहीं ले सकता।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

125. ओ0बी0सी0 फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन से जिन लोगों ने ऋण ले रखा है,अपने छोटे–2 कामों के लिए, काम न चलने पर वह कुछ लोग NPA हो गए हैं। उनका समाधान करना।

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

इस निगम का उदेश्य अन्य पिछडा वर्ग के तहत आने वाले लोगों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के सामाजिक,आर्थिक एंव शैक्षणिक उत्थान पिछडा वर्ग के तहत आने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान करना है । जिन लाभार्थियों ने निगम से छोटे–2 कामों के लिए ऋण लिया था और अगर किसी कारणवश वह ऋण भरने में असमर्थ हो गए और डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए हैं,तो उनके समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो भी निर्णय लेती है निगम द्वारा उस निर्णय का आदरपूर्वक पालन किया जायेगा। वर्तमान में निगम के पास ऋण माफी का कोई भी प्रावधान नहीं है ।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

126. ओ0बी0सी0 फाईनेन्स एण्ड डेवलोपमेंट कार्पोरेशन का गठन करना,जिसका कार्यालय कांगडा में है।

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगडा 31 जनवरी,1994 को कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अर्न्तगत मु0 10.00 करोड की प्राधिकृत अंश पूंजी सहित स्थापित किया था। इस सन्दर्भ

में उक्त निगम का कार्यालय कांगडा में स्थापित है । अन्य शाखा स्थापित करने बारे हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

127. ओ0बी0सी0 फाईनेन्स एण्ड डेवलोपमेंट कार्पोरेशन से जिन लोगों ने ऋण ले रखा है,अपने छोटे–2 कामों के लिए, काम न चलने पर वह कुछ लोग NPA हो गए हैं।उनका समाधान करना।

(ओम प्रकाश चौधरी गांव व डा0 रैहन,तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा)

विभागीय उत्तरः–

इस निगम का उदेश्य अन्य पिछडा वर्ग के तहत आने वाले लोगों के सामाजिक एंव शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों का उत्थान करना है। जिन लाभार्थियों ने निगम से छोटे–2 कामों के लिए ऋण लिया था और अगर किसी कारणवश वह ऋण भरने में असमर्थ हो गए और डिफालटर की श्रेणी में आ गए हैंए तो उनके समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाऐगा निगम द्वारा उस निर्णय का आदरपूर्वक पालन किया जायेगा।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

128. ओ0बी0सी कमीशन पर विचार किया जाए।

(योग राज मैहरा गांव व डा0 कोटला, तहसील व जिला कांगडा)

विभागीय उत्तरः–

हिमाचल प्रदेश राज्य पिछडा वर्ग आयोग का गठन अधिसूचना संख्या Kalyan-ch(10)-6/90-III, दिनांक 30.9.1993 को हुआ था। आयोग का कार्य मुख्यतः पिछडा वर्ग के रूप में किसी भी वर्ग के नागरिकों को राज्य पिछडा वर्ग की सूची में शामिल करने तथा सूची से हटाने बारे प्राप्त अनुरोधों का परीक्षण करना तथा इस बारे में राज्य सरकार को यथोचित सलाह देना है। ओ0बी0सी0 कमीशन पर विचार सम्बन्धित मामला सरकार के अर्न्तगत आता है।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(पिछडा वर्ग वित्त एंव विकास निगम)

129. ओ0बी0सी0 के लोगों को मकान निर्माण हेतु एक साल मे अनुदान बहुत कम स्वीकृत होतें हैं

(हरि सिंह पुत्र जैसी राम गांव हिरण डा0 कोहाला, तह0 ज्वालामुखी जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0न्या0एवं अधि0 विभाग)

130. गृह निर्माण अनुदान योजना के अर्न्तगत अन्य पिछडा वर्ग में बहुत ज्यादा मामले स्वीकृति हेतु लम्बित है, जिनको अनुदान राशि जल्द से जल्द स्वीकृत की जानी चाहिए ।

(अर्जुन सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह ग्रा0 व डा0 नंगलकलां,तहसील हरोली,जिला ऊना)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0न्या0एवं अधि0 विभाग)

131. ओ0बी0सी0 वर्ग के लिये योजनाओं में बजट का प्रावधान किया जाये।

(सुमन चौधरी गांव नागन, डा0 खडानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में 5521 मामले लम्बित हैं जिन्हें प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करके स्वीकृत करने हेतु प्रयासरत है।

(सा0न्या0एवं अधि0 विभाग)

उपायुक्त हमीरपुर से सम्बन्धित मदेंः–

132. वार्ड नं0 3 मोहल्ला देहरी दूली नगर परिषद सुजानपुर में ओ0 बी0 सी0 कल्याण भवन बनवाने बारे।

(तिलक राज कश्यप निवासी वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त हमीरपुर से से प्राप्त सूचना अनुसार उपमण्डलाधिकारी,सुजानपुर व कार्यकारी अधिकारी(नगर निगम) सुजानपुर को पत्र संख्या DCH/MA/OBC Welfare Board/2021-3079 दिनांक 29.4.2021 द्वारा उपरोक्त मदों पर सूचना/टिप्पणी व उत्तर हेतु प्रेषित किया गया है। इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(उपायुक्त हमीरपुर)

133. पंचायत पटलान्दर लौहार बस्ती श्री जगत राम के घर से लेकर श्री अमी चन्द के घर तक पानी के द्वारा भूमि का कटाव हो रहा है उसे रोकने के लिए पानी की नाली बनाना व सुरक्षा दीवार लगवाना अति आवष्यक है ताकि भूमि का कटाव श्री संसार चन्द धीमान, राजो देवी, विजय कुमार व शैलेन धीमान के घर व भूमि की सूरक्षा सुनिष्चित की जा सके।

(तिलक राज कश्यप निवासी वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त हमीरपुर से से प्राप्त सूचना अनुसार उपमण्डलाधिकारी, सुजानपुर व कार्यकारी अधिकारी(नगर निगम) सुजानपुर को पत्र संख्या DCH/MA/OBC Welfare Board/2021-3079 दिनांक 29.4.2021 द्वारा उपरोक्त मदों पर सूचना/टिप्पणी व उत्तर हेतु प्रेषित किया गया है।

इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(उपायुक्त हमीरपुर)

134. धनोटू गांव की लगभग 500 हेक्टेयर उपजाउ भूमि को आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद करने पर 400 परिवारों की भूमि को तार द्वारा बाढबन्दी करने हेतु ।

(तिलक राज कष्यप निवासी वार्ड नं0 3 मोहल्ला डोली डा0 व तह0 सुजानपुर जिला हमीरपुर)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त हमीरपुर से से प्राप्त सूचना अनुसार उपमण्डलाधिकारी,सुजानपुर व कार्यकारी अधिकारी(नगर निगम)सुजानपुर को पत्र संख्या DCH/MA/OBC Welfare Board/2021-3079 दिनांक 29.4.2021 द्वारा उपरोक्त मदों पर सूचना/टिप्पणी व उत्तर हेतु प्रेषित किया गया है।
इस संदर्भ में उपायुक्त हमीरपुर नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगें।

(उपायुक्त हमीरपुर)

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें:–

135. मुहाल बाग रा0प्रा0पा0 बाट में कुंडीनाला के पास सभी जातियों का शमशानघाट है वहां पानी की टंकी या टैंक, बैठने के लिए एक भवन तथा नाले में पुली लगनी है , के लिए 6 लाख रूपये स्वीकृत किए जाएं।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

136. गांव रठौल नैणा माता के पास सरकारी भूमि है वहां साल भर खुले आसमान के निचे माता के आंगन में लन्गर, शादियां होती है वहां समुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की राषि स्वीकृत की जाए।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

137. गांव रठोल श्री राम सिंह के घर से बनारसी के घर तक एक सड़क है जो 600 मीटर लम्बी है को पक्का किया जाए इसके लिए 5 लाख रूपये की राषि स्वीकृत की जाए।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल, डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

138. श्री इन्द्र देव, दुर्गा दास, डूम राम, नेत्र सिंह, नरेश, घनष्याम दास व धर्मपाल का घर ढांक वाली जगह में है यहां एक पक्का डंगा 100 फुट लम्बाई 15 फुट ऊंचाई वाला लगना है इसके लिए 3 लाख रूपए स्वीकृत किए जाएं।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल, डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट, जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

139. मुहाल रठौल–।। ग्राम पंचायत बाल्ट में मेरा व श्री डूम राम, श्री दुर्गा दास ,धर्मपाल, हेमन्त का मकान है, नीचे की तरफ ढांक है कभी भी मकान गिर सकते है कृप्या मकानों की सुरक्षा हेतु लगभग 5 लाख रूपये की राशि से डंगा लगना है,स्वीकृत किया जाये।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

140. खसरा न0 542 मुहाल रठौल में जमीन में चैक डैम लगाने हेतु 10,00,000/– (दस लाख)रूपये की स्वीकृति हेतु।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

141. मुहाल रठौल सारी ओ0बी0सी/एस0सी0 का वार्ड है उसमें नैणा माता का मन्दिर है वहां सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख की स्वीकृति हेतू मांग।

(इन्द्र देव नायक गांव रठौल,डा0 बाल्ट,तहसील बाल्ट,जिला मण्डी)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त मण्डी से प्राप्त सूचना अनुसार जिला योजना अधिकारी, मण्डी व खण्ड विकास अधिकारी,बल्ह,जिला मण्डी को पत्र संख्या MND/DEV/(Wel)MC-II/2021-13713 दिनांक 23-4-2021 व MND/DEV/(Wel)MC-II/2021-14624-26 दिनांक 5.5.2021 द्वारा उपरोक्त मदों पर उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

उपायुक्त मण्डी सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त मण्डी)

उपायुक्त चम्बा से सम्बन्धित मदें:–

142. ग्राम पंचायत करयास में जंजघर निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जाए ।

(सूजी राम पुत्र श्री गुरदयाल, गांव जलवास, डा0 करयास,तहसील पांगी,जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त चम्बा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त चम्बा)

143. तहसील पांगी में लगभग 5000 व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते हैं।पुराने समय में बंदोबस्त के दौरान सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। जाति दुरूस्ती के लिए इन लोगों को चम्बा मुख्यालय तथा फिर धर्मशाला के चक्कर काटने पडतें हैं जिसमें समय के साथ–2 बहुत धन भी खर्च होता है । इस कारण यह सभी लोग अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित रह जाते हैं । अतः महोदय जाति दुरूस्ती की शक्तियां आवासीय आयुक्त पांगी को दी जांए ताकि गरीब जनता के समय व धन की बचत हो तथा अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनांए सही व्यक्तियों तक पहुंचे ।

(सूजी राम पुत्र श्री गुरदयाल, गांव जलवास, डा0 करयास,तहसील पांगी,जिला चम्बा)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त चम्बा से प्राप्त सूचना अनुसार पत्र संख्या CBA-Peshi-30(19)/2014 दिनांक 21.11.2014 द्वारा समस्त उपमण्डलाधिकारी(ना0) जिला चम्बा को समाहर्ता की षक्तियां प्रदान की गई है, जो कि हि0 प्र0 भूराजस्व अधिनियम 1954 की धारा 16(1) (a) के तहत इस प्रकार के जाति दरूस्ती मामलों का निपटारा कर रहे है ।अतः जाति दरूस्ती से सम्बन्धित मामलों की सभी षक्तियां उप मण्डलाधिकारी (ना0) पांगी को प्रदान की गई है । इसी अधिनियम में तहत समाहर्ता के आदेषों के विरूद्ध अपील सम्बन्धित मामले माननीय मंडलायुक्त(इस क्षेत्र के लिये कांगडा स्थित धर्मषाला) के समक्ष प्रस्तुत कर सकतें हैं ।

उपायुक्त चम्बा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त चम्बा)

उपायुक्त कांगडा से सम्बन्धित मदेंः–

144. ग्रम पंचायत टंग नरवाणा में एक ओ0बी0सी0 भवन का निर्माण जिसमें मीटिंग एंव शादी हाल, 4 कमरों का निर्माण, बच्चों के लिए पुस्तकालय एंव जिम की व्यवस्था एक ही बिल्डिंग में उपलब्ध हो।जिसके लिए जमीन टंग नरवाणा मेला ग्रांऊड के साथ है ।ताकि पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकें । क्योंकि यह पंचायत माता चामुण्डा जी के साथ मे लगती है इसलिये गरीब श्रदालु भी इसको ठहरने के लिये लाभ प्राप्त कर सकें । इसका खर्चा लगभग 50 लाख तक आयेगा।

(राजकुमार गांव व डाव टंग, तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

145. गाय सदन का निर्माणः ग्राम पंचायत टंग नरवाणा में पडती इक्कु खडड के साथ जंगल में लगभग 2 किलोमीटर के एरिये में तार बन्दी लगाकर आवारा पशुओं को वहां छोड सकतें है पशु अपनी मनमर्जी से वहां पर रह सकते है व पानी की व्यवस्था भी इक्कु खडड में पशुओं के लिये अपने आप हो सकती है।इसका खर्चा लगभग 50 लाख तक आयेगा।

(राजकुमार गांव व डाव टंग,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

146. टंग नरवाणा में एक पुराना पटवार खाना है जो जरजर हालत में है। पटवारी जी भी साथ में लगते पंचायत द्वारा बनाये दूसरे कमरे में बैठते है उसे उस बिल्डिंग को रिपेयर करना व टंग नरवाणा में पुरानी डिस्पैन्सरी जिसकी छत व दिवारें गिर गई हैं वहा नई डिस्पैन्सरी का निर्माण हो जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी इस दोनों कामों के लिए लगभग 40 लाख की लागत आयेगी।

(राजकुमार गांव व डाव टंग,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

147. गगल ग्राम पंचायत जरून्डी पुली का काम कम से कम 15 लाख रूपये ।

(मान चन्द पुत्र फन्दरी राम गांव झोंला,डा0 जरून्डी,तहसील खुण्डियां,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

148. सामुदायिक भवन घिआना कलां टीका ठमबा वार्ड न0 7 पंचायत बरवाला में बनना चाहिए।

(कुलदीप कुमार पुत्र श्री भगवान दास गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा,)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

149. किसानों की बाढ से बही हुई जमीन को दोबारा से डंगे इत्यादि लगाकर काश्त के योग्य बनाया जाये ।

(कुलदीप कुमार पुत्र श्री भगवान दास गांव बरवाला,डा0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

150. आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से निजात दिलाने बारे सरकार से विशेष अनुरोध है ।

(कुलदीप कुमार पुत्र श्री भगवान दास गांव बरवाला,डप0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

151. उलैहडियां पंचायत में एक ओ0बी0सी0 भवन बनना चाहिए ताकि इस भवन में गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी कर सके।

(जोगिन्द पाल सपुत्र राम सिंह ग्राव व डा0 उलैहडियां,तहसील इन्दौरा,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाऐंगे ।

(उपायुक्त कांगड़ा)

152. किसानों की बाढ से बही हुई जमीन को दोबारा से डंगे इत्यादि लगाकर काश्त के योग्य बनाया जाये ।

(कुलदीप कुमार गांव बरवाला,डप0 घियाणकलां,तहसील धर्मशाला,जिला कांगडा)

विभागीय उत्तरः–

उपायुक्त कांगडा सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगें।

(उपायुक्त कांगडा)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
****

No.Wel-B-F (1)-1/2001-Vol.II dated Shimla-171002, 9th September, 2011

387

"NOTIFICATION"

In supersession of all previous notifications issued by this Department, the Governor Himachal Pradesh, is pleased to declare the following castes, classes and communities other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, professing any religion, as Other Backward Classes in the State of Himachal Pradesh:-

(A)Throughout the Pradesh

1. Aheri, Ahori, Heri, Naik, Theri.
2. Ard pop, Popo Brahman
3. Bahti
4. Bata, Hensi or Hosi.
5. Bagria.
6. Batehda.
7. Baragi, Bairagi.
8. Bhat or Bhatta (Whether with or without the appendage Brahman), Darpi.
9. Bhuhalia.
10. Chang.
11. Chirimar.
12. Dhosali, Dosal.
13. Faquir.
14. Ghirath including Chang and Bahti.
15. Ghasi, Ghasiara or Ghosi.
16. Gorkha (Whether with or without any appendage like Rajput, Brahman, Khatri etc.)
17. Ghai
18. Gowala, Gwala
19. Gadaria
20. Gawaria, Gauria or Gwar
21. Hajam, Nai
22. Jhaiwar, Dhiwar, Jhinwar, Chainwar, Jheur, Jheer
23. Kahar.
24. Kumhar, Ghumar, Ghumhar.
25. Kurmi.
26. Labana.
27. Mahatam.
28. Madari.
29. Mirasi.
30. Mallah
31. Mehra.
32. Nai (Kulin Brahman).
33. Nar.
34. Pinja, Panja, Nadaf, Nadaaf
35. Soi
36. Tarkhan, Badhai, Ramgarhi Dhiman, (Excluding Lohar), Vishwakarma, Thawins.

Contd Page 2/-

37. Vanzara.
38. Bujhru, Dakaut.
39. Sanyasi, Gujarati, Vyas. Traditionally connected with the death rituals.
40. Pumba.
41. Maha Brahman, Acharj, Charj, Acharya, connected with the rituals of death and last rites of Hindus.
42. Hadi.
43. Populace living in Malana revenue village of Kullu District H.P.
44. Populace i.e. Bangahalias residing since time immemorial in Chhota Bhangal and Bara Bhangal area of Kangra District H.P.
45. Saini.
46. Chohar-Ka other than Scheduled Caste and Scheduled Tribe residing in Choharghati of Mandi District constituting of 12 Gram Panchayats; Namely: Bardhan, Barot, Batheri, Dhamchyan, Kathog, Latran, Lapas, Ropa, Silbadwani, Sudhar, Tikkar and Tarswar.
47. Jat/Jaat.
48. Nath.

(B) In Merged Area Only:

1. Gaddi (Whether with or without any appendage like Rajput, Brahman, Khatri etc.) who are not listed in the Scheduled Tribes List shall continue as OBC.

The above categories of classes/communities in Himachal Pradesh shall be entitled to various facilities/concessions provided by the State Government from time to time.

The reservation in services for the notified communities as determined by the State Government from time to time will be available to the members of the Backward Classes subject to exclusion of classes/communities on the basis of creamy layer criteria specified in the enclosed Annexure "A". However, the rule of exclusion shall not be applicable for the purpose of census/counting of the Backward Classes and determination of percentage of Backward Classes for reservation.

Similarly the concept of creamy layer shall not apply to elections conducted through the democratic process.

By Order

S.K. Dash
Principal Secretary (SJE) to the
Government of Himachal Pradesh.

Contd. Page-3/-

389

No. Wel-B-F (1)-1/2001-Vol.II, dated Shimla-2, 9th September, 2011.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chairman, H.P. State Commission for Backward Classes, Block No. 38, SDA Complex Kasumpti, Shimla-171009.
2. All the Administrative Secretaries in Himachal Pradesh.
3. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. All the Sub Divisional Magistrates in Himachal Pradesh.
6. The Private Secretaries to all the Ministers in Himachal Pradesh.
7. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 for publication in Rajpatra.
8. Guard file/50 Spare *copy*.

Joint Secretary (SJE) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment-B

No.SJE -B-F(1)-3/2013 Dated, Shimla-171002, 27, February, 2015.

NOTIFICATION

In continuation to this Department Notification No Wel-B-F(1)-1/2001-Vol-II dated 9th September,2011 the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to declare the following communities other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, professing any religion, as Other Backward Classes, in the State of Himachal Pradesh:-

1. **Deti Community.**
2. **Majhara Community.**

The above categories of classes/communities in Himachal Pradesh shall be entitled to various facilities/concessions provided by the State Government from time to time.

The reservation in services for the notified communities as determined by the State Government from time to time will be available to the members of the Backward Classes subject to exclusion of classes/communities on the basis of creamy layer criteria amended by the State Government from time to time. However, the rule of exclusion shall not be applicable for the purpose of census/counting of the Backward Classes for reservation .

Similarly the concept of creamy layer shall not apply to elections conducted through the democratic process.

By Order

Ajay Mittal
Additional Chief Secretary (SJ&E)to the
Government of Himachal Pradesh.

Ends. No. As above, Dated: Shimla02, the 27, February, 2015

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Chairman, H.P. State Commission for Backward Classes, Block No.38, SDA Complex Kasumpti, Shimla Shimla-9.
2. The Member Secretary, National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.
3. All the Administrative Secretaries to the Government of H.P. Shimla-02
4. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
5. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
6. The Director, SCs OBCs & Minorities Affairs, SDA Complex, Shimla-09
7. The Managing Director, Himachal Backward Classes Finance & Developmen Corporation, PWD Rest House, Kangra, H.P.
8. All the Sub Divisional Magistrates in Himachal Pradesh.
9. The Controller of Printing & Stationary, Himachal Pradesh Govt. Press,Shimla- for publication in the Rajpatra (Extra Ordinary).
10. Guard File.

Joint Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh

398

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT-B DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th April, 2017

No. SJE -B-E(2)-4/2016.—In continuation of this Department Notification No Wel-B-F(1)-1/2001-Vol-II dated 9th September, 2011 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add

Muslim castes of (Teli, Julaha/Kabirpanthi,Lohar and Jogi (other than those included in the list of SCs) in the State list of Other Backward Classes of Himachal Pradesh.

The above categories of classes/communities in Himachal Pradesh shall be entitled to various facilities/concessions provided by the State Government from time to time.

The reservation in services for the notified communities as determined by the State Government from time to time will be available to the members of the Backward Classes subject to exclusion of classes/communities on the basis of creamy layer criteria amended by the State Government from time to time. However, the rule of exclusion shall not be applicable for the purpose of census/counting of the Backward Classes for reservation .

Similarly the concept of creamy layer shall not apply to elections conducted through the democratic process.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (SJ&E).

st of OBCs

achal Pradesh

	Caste / Community	Gazette Resolution
	Aheri or Ahori Heri Naik Thori Turi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
2	Ard Pop, Popo Brahman	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014 (size : .26MB)
3	Deleted	12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 (size : 2.96MB)
4	Bahti	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
5	Bata, Hensi or Hesi	12011/68/93-BCC(C) dt 10/09/1993 (size : 7.07MB)
6	Bagria	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
7	Batehda	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12011/6/2014-BC-II dt. 07/12/2016 (size : 1.06MB)
8	Baragi Bairagi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
9	Bharbunha Bharbhuja or Bharbhunja	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
10	Bhat, Bhatta, Darpi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
11	Bhuhalia	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
12	Chang or Chahang	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)

1/5

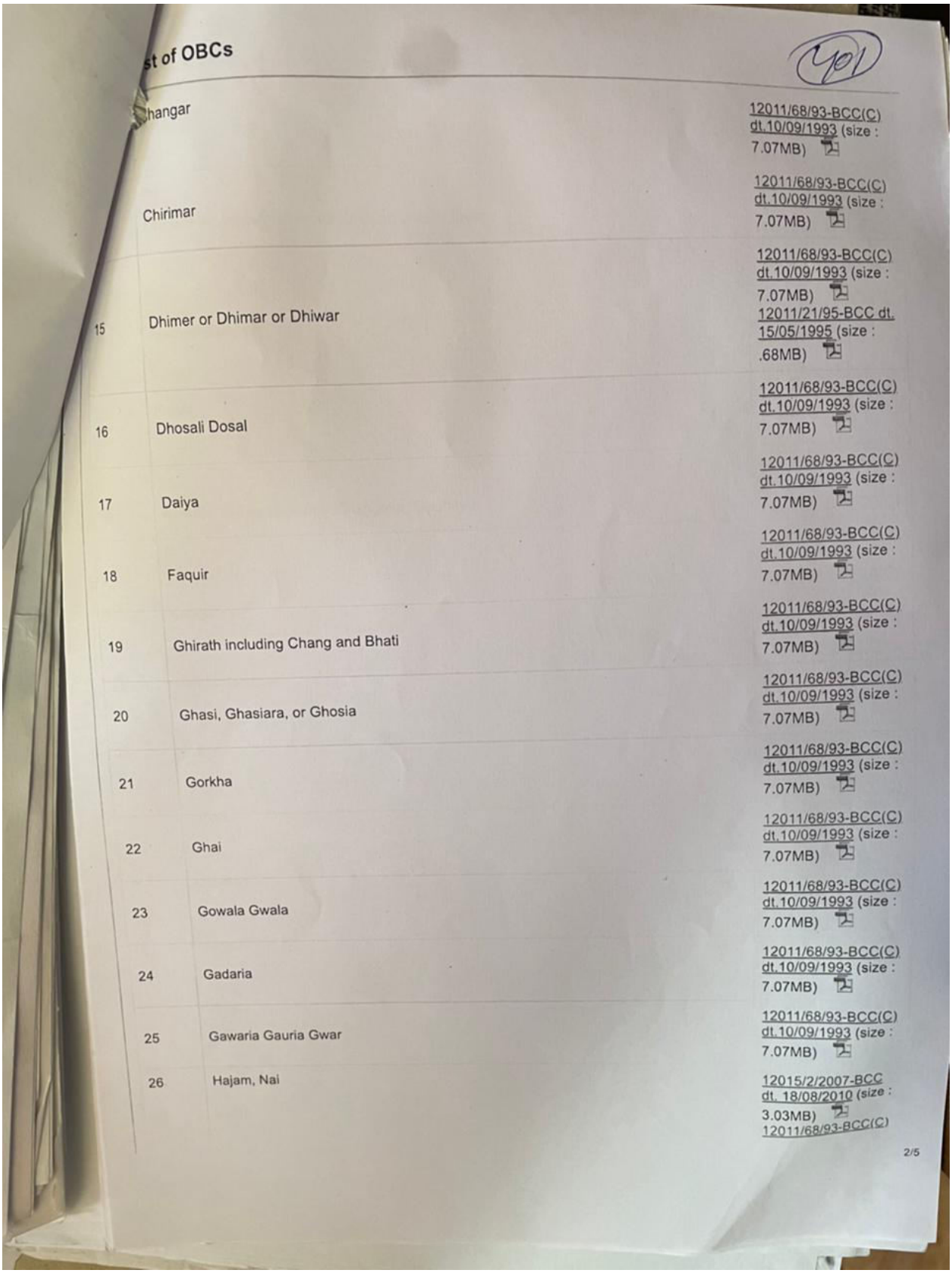

st of OBCs

	hangar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
	Chirimar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
15	Dhimer or Dhimar or Dhiwar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12011/21/95-BCC dt. 15/05/1995 (size : .68MB)
16	Dhosali Dosal	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
17	Daiya	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
18	Faquir	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
19	Ghirath including Chang and Bhati	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
20	Ghasi, Ghasiara, or Ghosia	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
21	Gorkha	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
22	Ghai	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
23	Gowala Gwala	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
24	Gadaria	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
25	Gawaria Gauria Gwar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
26	Hajam, Nai	12015/2/2007-BCC dt. 18/08/2010 (size : 3.03MB) 12011/68/93-BCC(C)

2/5

st of OBCs

		dt 10/09/1993 (size : 7.07MB)
	Dhinwar or Jhinwar Jheewar, Jhiwar, Jheur, Jheer	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014 (size : .26MB)
28	Keshap Rajput	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
29	Kahar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
30	Kumhar, Prajapati, Kumbar, Ghumar, Ghumhar	12015/2/2007-BCC dt. 18/08/2010 (size : 3.03MB) 12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
31	Kangehra	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
32	Kanjar Kanchan	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
33	Kurmi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
34	Labana	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
35	Mahatam	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
36	Madari	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
37	Mirasi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
38	Mallah	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
39	Mehra	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size :

3/5

t of OBCs

		7.07MB)
	Nai (Kuleen Brahman)	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
	Nalband	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
42	Nar	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
43	Pinja or Penja, Panja, Nadaf, Nadaaf	12015/2/2007-BCC dt. 18/08/2010 (size : 3.03MB) 12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
44	Rechband	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
45	Soi	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
46	Thawin	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB)
47	Deleted	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12011/13/2016-BC-II dt 25/05/2016 (size : .11MB)
48	Deleted	12011/68/93-BCC(C) dt.10/09/1993 (size : 7.07MB) 12011/21/95-BCC dt 15/05/1995 (size : .68MB) 12011/13/2016-BC-II dt 25/05/2016 (size : .11MB)
49	Julaha, Ansari (other then those included in the List of SCs)	12015/36/99-BCC dt.04/04/2000 (size : 1.47MB) 12015/9/2000-BCC dt.06/09/2001 (size : .92MB)
50	Tarkhan, Badhai, Ramgarhi, Dhiman(excluding Lohar), Vishwakarma	12015/36/99-BCC dt.04/04/2000 (size :

4/5

t of OBCs

		1.47MB) 12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011 (size : 3.65MB)
	Pumba	12015/2/2007-BCC dt. 18/08/2010 (size : 3.03MB)
52	Hadi	12015/2/2007-BCC dt. 18/08/2010 (size : 3.03MB)
53	Saini	12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011 (size : 2.96MB) 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014 (size : .26MB)
54	Choharka other than SC and ST residing in the 12 Gram Panchayats in Choharghati of Mandi District (HP) viz. " Bardhan, Barot, Batheri, Dhamchyan, Kathog, Latran, Lapas, Ropa, Silbadwani, Sudhar, Tikkar and Tarswan".	12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014 (size : .26MB)
56	Populace i.e. Bangahalias residing since time immemorial in ChhotaBhangal and Bara Bhangal area of Kangra District (HP)	12015/05/2011-BC-II dt 15/07/2015 (size : .18MB) 12011/6/2014-BC-II dt. 07/12/2016 (size : 1.06MB)

If you are not able to view the document: Click here to GET ADOBE® READER®